

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/7260 /

जबलपुर, दिनांक 24/11/2021

श्री मुकेश कुमार, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 24.09.2021 से 05.10.2021 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित न रहे अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6627 जबलपुर, दिनांक 29.10.2021 के द्वारा रोके गये वेतन का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/7261 /

जबलपुर, दिनांक 24/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री मुकेश कुमार, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)